

वित्तीय वर्ष-2013-14 में इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (विशेष घटक) के तहत पेंशन भुगतान हेतु सहायक अनुदान-वेतनादि के अलावा (31 06) मद में प्रखण्डवार/निकायवार द्वितीय किस्त उपावंटन तालिका:-

क्र०	प्रखण्ड/नगर निकाय का नाम	पेंशनधारियों की संख्या	पूर्व में उपावंटित राशि	वर्तमान में उपावंटन	कुल आवंटन
1	2	3	4		
1	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मधेपुरा	116	104400	204400	308800
2	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सिंहेश्वर	140	126000	276000	402000
3	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, गम्हरिया	37	22200	22200	44400
4	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बैलाढ़	143	128700	278700	407400
5	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, शंकरपुर	145	130500	130500	261000
6	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, कुमारखण्ड	273	245700	245700	491400
7	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मुस्लीगंज	94	56400	56400	112800
8	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज	487	440300	940300	1380600
9	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, ग्वालपाड़ा	204	183600	183600	367200
10	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बिहारीगंज	159	143100	295100	438200
11	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, आलमनगर	519	467100	617100	1084200
12	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, चौसा	139	125100	125100	250200
13	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पुरैनी	65	58500	58500	117000
14	कार्यापालक पदाधिकारी, नगर परिषद, मधेपुरा	145	130500	130500	261000
15	कार्यापालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, मुस्लीगंज	41	36900	36900	73800
	कुल योग :-	2707	2399000	3601000	6000000

मो० (छत्तीस लाख एक हजार) रुपये मात्र।


जिला पदाधिकारी,
मधेपुरा।

समाहरणालय, मधेपुरा
(सामाजिक सुरक्षा कोषांग)

पत्रांक १९०-२ सा०सु०को०,

शेषक,

जिला पदाधिकारी,
मधेपुरा।

सेवा में,

सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, मधेपुरा जिला।
कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, मधेपुरा,
कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, मुरलीगंज।

विषय:-

मधेपुरा, दिनांक 6/9/13 /
चालू वित्तीय वर्ष-2013-14 में राज्य योजनान्तर्गत इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना
(विशेष घटक) में पेंशनधारियों को द्वितीय किस्त नगद पेंशन भुगतान हेतु कुल रु०-
36,01,000=00 (छत्तीस लाख एक हजार) रुपये मात्र का उपावंटन।

प्रसंग:-

निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, बिहार- पटना के पत्र सं०-01/सा०सु० बजट-ई०गा०रा०वि०पें०-12/2013-
स०क०-36 पटना, दिनांक-28/06/2013

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा वित्त विभागीय स्थायी परिपत्र सं०-2561 दिनांक-17.04.98 एवं 7729
दिनांक-26.07.2012 में उल्लेखित निदेशों एवं प्रावधानों के अन्तर्गत विभागीय राज्यदेश सं०-1014 दिनांक-16.05.2013 के आलोक
में पेंशनधारियों को द्वितीय किस्त नगद पेंशन भुगतान हेतु संलग्न विवरणी के स्तम्भ-5 के अनुसार कुल रु० 36,01,000=00
(छत्तीस लाख एक हजार) रुपये मात्र का उपावंटित किया जाता है।

- 2- उपावंटित राशि मौंग सं०-51, मुख्य शीर्ष-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, उप मुख्य शीर्ष-03-राष्ट्रीय सामाजिक
सहायता कार्यक्रम, लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप-शीर्ष-0102-इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय
विधवा पेंशन योजना, विषय शीर्ष-31 06- सहायक अनुदान-वैतनादि के अलावा, विपत्र कोड
संख्या-p-2235037890102 तथा स्कीम कोड-WEL-5500 से विकलनीय होगा।
- 3- निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि वे उपावंटित राशि कोषागार से निकासी कर शिविर के माध्यम से
पेंशन का भुगतान सुनिश्चित करेंगे।
- 4- जिस मद में राशि उपावंटित की गई है उसे उसी मद में व्यय किया जायगा।
- 5- उपावंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा कोषांग, मधेपुरा को निश्चित रूप से उपलब्ध
करायी जाय।
- 6- उपावंटित राशि का विवरणी संलग्न है।
उपर्युक्त निदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

विश्वासभाजन


जिला पदाधिकारी,
मधेपुरा।